

(1)



## न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक 88/2012-2013 R-2332-III/13

महिला रजको वेवा नन्हें सिंह रावत,  
निवासी-ग्राम कल्याणपुर, तहसील नरवर, जिला  
शिवपुरी

— प्रार्थिनी

श्री न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर  
द्वारा दिनांक 20.6.13 को  
प्रस्तुत  
कल्याणपुर  
20.6.13  
न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

बनाम

रामस्वरूप पुत्र श्री जोधराम रावत, निवासी-ग्राम  
कल्याणपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी

— प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

20/6/13 आदेश दिनांक 08/05/13 पारित द्वारा अनुविभागीय  
अधिकारी परगना करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.) प्रकरण  
क्रमांक 88/12-13, अपील।

माननीय महोदय,

प्रार्थिनी की निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:-

1. यह कि, कृषि भूमि सर्वे क्रमांक-22/5, रकवा 1.00, हेक्टर, स्थित ग्राम कल्याणपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी प्रार्थिनी के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि है। उपरोक्त भूमि पर प्रार्थिनी एवं उसके पति नन्हें सिंह रावत का लगभग 17-18 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थिनी के द्वारा उपरोक्त भूमि का व्यवस्थापन किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र तहसील नरवर के समक्ष वर्ष 2004 में प्रस्तुत किया गया था, जो प्रकरण क्रमांक 20/2004-05/अ-19 पर दर्ज किया गया था। तहसील नरवर द्वारा विधिवत् इशतहार जारी किये गये। इशतहार अवधि पश्चात् आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। तत्पश्चात् तहसीलदार महोदय द्वारा मौजा पटवारी से विधिवत् रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् एवं प्रार्थिनी की साक्ष्य ग्रहण करने के पश्चात् दिनांक 05/11/2005 को प्रार्थिनी के हित में कब्जे के आधार पर उपरोक्त

29-9-15

कानवेडक की कूर ले  
 सुक्या उपरान्त कोई उपस्थित  
 नहीं। समय समय पर लेना  
 का उकार कापई गई। कोई  
 उपस्थित नहीं। समाप्त की कूर  
 ले भी शहर के कानवेडक की  
 उपस्थित। कानवेडक की अनुपस्थित  
 प्रकृत अरुम परी के शास्त्र  
 सुआ माला ही प्रकृत काठिक गिकाड  
 का।

कानवेडक

*(Signature)*

*(Signature)*